मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी. टी. नगर, न्यू मार्केट भोपाल
(बैंक शाखा खोलने हेतु भवन चाहिये)

भोपाल में पिपलानी क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलने के लिये इसी क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर किराये के भवन की आवश्यकता है। इच्छुक भवन स्वामी जिनके भवन पूर्णतः निर्मित एवं आधिपत्य में है एवं जिसका लगभग क्षेत्रफल 1500 से 2000 वर्गफीट (ऑन साईट एटीएम व्यवस्था के प्रावधान सहित) हो, वे दिनांक 08.04.2024 तक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव अमान्य किया जायेगा। अन्य नियम व शर्तों का विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाईट www.apexbank.in पर देखा जा सकता है ।

प्रभारी प्रबंध संचालक

नियम व शर्तें निम्नानुसार हैंः—

1. प्रस्ताव के साथ भवन का नगर निगम/नगर पालिका से अनुमोदित मानचित्र, भवन के मालिकाना संबंधी समस्त दस्तावेज के साथ अपेक्षित किराये के विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव प्रेषित किया जावे। कोई भी ब्रोकर्स/मध्यस्थ इस संबंध में संपर्क न करें।
2. भवन के सामने शाखा के कर्मचारियों एवं ग्राहकों के वाहन हेतु पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये ।
3. भवन में पर्याप्त क्षमता के विद्युत कनेक्शन एवं चौबीस घंटे पानी की अनवरत प्रदाय की व्यवस्था होनी चाहिये ।
4. भूतल पर प्रस्तावित भवन को प्राथमिकता दी जायेगी ।
5. किसी भी प्रस्ताव अथवा सभी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है ।
6. इच्छुक भवन स्वामी प्रस्ताव को भवन कक्ष, मुख्यालय म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित न्यू मार्केट टी.टी. नगर भोपाल को निर्धारित समय के पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।
7. भवन की लोकेशन उपलब्धता एवं बैंक की आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रफल को कम या अधिक होने पर स्वीकार किया जा सकेगा ।
8. तय किये गये किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि तीन—तीन वर्ष पश्चात् होगी ।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश शासन का निर्णय अंतिम होगा ।
10. निविदा स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार प्रभारी प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में निहित हैं ।
11. निविदा के अंतिम होने पर उभय पक्ष द्वारा अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किया जावेगा ।

प्रभारी प्रबंध संचालक